

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 29]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 30, 2015/माघ 10, 1936

No. 29]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 30, 2015/MAGHA 10, 1936

राज्य सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2015

सं. आरएस. 1/1/2015-एल.—राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 29 जनवरी, 2015 को दिया गया निम्नलिखित आदेश जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

"संविधान के अनुच्छेद 85 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एतद्वारा राज्य सभा को सोमवार, 23 फरवरी, 2015 को मध्याह्न पूर्व 11.00 बजे नई दिल्ली में समवेत होने के लिए आमंत्रित करता हूं।

29 जनवरी, 2015

ह/-

राष्ट्रपति

वंदना गर्ग, अपर सचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT
NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2015

No. RS. 1/1/2015-L.—The following Order by the President dated the 29th January, 2015, is published for general information :—

"In exercise of the powers conferred upon me by clause (1) of article 85 of the Constitution, I hereby summon the Rajya Sabha to meet at New Delhi on Monday, the 23rd February, 2015 at 11.00 A.M.

January 29, 2015

Sd/-

PRESIDENT "

VANDANA GARG, Addl. Secy.

555 GI/2015